<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–11/2018/जिला टोंक

पन्नालाल पुत्र उदालाल जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी डूंगरी खुर्द तहसील मालपुरा जिला टोंक(राजस्थान)

––अपीलांट

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र नाथू खाती निवासी डूंगरी खुर्द
2. रामनारायण पुत्र नाथू खाती निवासी डूंगरी खुर्द
3. रामकरण पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी डूंगरी खुर्द तहसील मालपुरा, जिला टोंक(राजस्थान)
4. तहसीलदार तहसील मालपुरा लैण्ड होल्डर।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मालपुरा दिनांक 07.08.2014 व मुकदमा उनवानी रूपनारायण बनाम तहसीलदार मालपुरा मिसल नम्बर 240–2014 एवं रामनारायण बनाम तहसीलदार मालपुरा मिसल नम्बर 242–2014 प्रार्थनापत्र तहत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत दुरूस्ती तरमीम।

उपस्थित अभि0:–श्री तुलवीरसिंह चौहान(अपीलांट अभि0)
श्री गिरीश पारीक (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–30.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डूंगरी खुर्द में खसरा नम्बर 181/4 का रकबा 0.15 बीघा होकर रूपनारायण पुत्र नाथू कौम खाती, निवासी डूंगरी खुर्द के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 181/3 का रकबा 0.14 बीघा है तथा यह रामनारायण पुत्र नाथू जाति खाती निवासी डूंगरी खुर्द तथा अन्य खसरा नम्बर 181/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पन्नालाल पुत्र उदालाल जाति जाट निवासी डूंगरी खुर्द है तथा खसरा नम्बर 181/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा रामकरण पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी डूंगरी खुर्द के नाम दर्ज है। रूपनारायण रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मालपुरा में एक प्रार्थना पत्र 240/2014 अन्तर्गत धारा 136 [illegible] निवेदन किया कि उसके खसरा नम्बर का रकबा तरमीम में कम है। अतः [illegible] तरमीम को निरस्त कर मौके पर काबिज स्थिति के विरूद्ध नई तरमीम [illegible] जायें। [illegible] प्रकार रामनारायण द्वारा भी अपने खसरा नम्बर 181/3 रकबा 0.14 बीघा की तरमीम कब्जे के अनुसार करने [illegible] एक प्रार्थना पत्र 242/2014 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त दोनो प्रकरणो पर संयुक्त रूप से उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक ही निर्णय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 07.08.2014 को दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मालपुरा को मूल खसरा नम्बर 181 के मीन नम्बरो के खातेदारान के जमाबंदी में दर्ज रकबो की मौके पर उनके कब्जो के अनुरूप मौके पर नक्शाशीट में तरमीम किये जाने के आदेश दिये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा एक संयुक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई–

1. उक्त अपील के निम्न आधार अपीलांट द्वारा बताये गये है। 181 मीन के सभी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेंट 1 व 2 खातेदार बनाये निर्णय किया गया जो उचित नहीं है।

2. पटवारी की मौका रिपोर्ट एकपक्षीय रिपोर्ट है तथा यह अपीलांट की गैर माजुदगी मे बनायी गई है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.08.2014 को निरस्त किया जायें। उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्थगन प्रार्थना पत्र तथा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय को रिकोर्ड तलब किया जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि हम आवश्यक पक्षकार थे हमे नहीं सुना गया। वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि खसरा नम्बर 181 के 4 मीन नम्बर बने है। जिसमें खसरा नम्बर 181/1 का रकबा 1.10 बीघा है। जो रेस्पोडेंट नम्बर 3 का है। खसरा नम्बर 181/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट का है तथा खसरा नम्बर 181/3 का रकबा 0.14 बीघा है जो रेस्पोडेंट नम्बर 2 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 181/4 रकबा 0.15 रेस्पोडेंट नम्बर 4 का है। वकील रेस्पोडेंट 1 व 2 के अनुसार खसरा नम्बर 181/3 और 181/4 का कुल रकबा 1.9 बीघा बनता है। मगर नक्शे में 1.1 बीघा ही बन रहा है तथा 0.8 बीघा की कमी क्षेत्रफल में है। इस हेतु हमने तरमीम में संशोधन करवाया था। अपीलांट को दो अलग–अलग आदेशो की अलग–अलग अपील करनी चाहिए थी। अपील खारिज की जायें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट का खसरा नम्बर भी मूल खसरा नम्बर 181 से टूटकर 181/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज हुआ है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा मूल खसरा नम्बर 181 के मीन नम्बरों के खातेदारान के जमाबंदी में दर्ज रकबों की मौके पर उनके कब्जों के अनुरूप नक्शाशीट में तरमीम करने का आदेश दिया था। अतः अपीलांट भी व्यथित पक्षकार की श्रेंणी में माना जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उन्हें दिनांक 18.01.2015 को हुई। जिस पर दिनांक 19.01.2015 को आवेदन लगाकर नकल प्राप्त की तथा शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गई। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 18.02.2015 को अपील दर्ज करवाना पाया जाता है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय निर्णय था। जिसमें अपीलांट को निर्णय की जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद माना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार बिना उन्हें सुने अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ है। अतः अपील के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्थगित रखा जाये। इस तत्समय सुनवाई कर न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दो प्रार्थना पत्रों को एक साथ निर्णय किया है। अपने निर्णय दिनांक 07.08.2014 से उनके द्वारा प्रकरण संख्या 240/2014 रूपनारायण बनाम तहसीलदार तथा प्रकरण संख्या 242/2014 रामनारायण बनाम तहसीलदार में एक ही निर्णय एक संयुक्त निर्णय कर दोनो पत्रावलीयों का निस्तारण किया। अपीलांट को यह चाहिए था कि दोनो पत्रावलीयों पर किये गये निर्णयों पर अलग–अलग अपील करते। जो कि कानूनी बाध्यता है। दो आदेशों की हमेशा अलग–अलग अपील ही होगी। ऐसा कई न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया है।

1. 1979 आरआरडी पेज 89–दो भिन्न विषयों पर एक सामान्य आदेश बाबत एकल निगरानी चलने योग्य नहीं है।
2. 1983 आरआरडी पेज 811–दो अपीलो क निर्णय के विरूद्ध एक अपील मेंटेलेबल नहीं है।
3. 2020(1) आरआरटी पेज 401–दो निर्णयों के विरूद्ध एक अपील मेंटेनेबल नहीं है।

न्यायालय उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो से पूर्ण रूप सहमत है। वर्तमान प्रकरण पर उक्त न्यायिक दृष्टांत सही रूप से चस्पा होते है। न्यायालय इस कानून बिन्दु पर अपीलांट द्वारा कानून की पालना न करने से अपील को खारिज योग्य मानता है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा अन्तर्गत 240/2014 एवं 242/2014 दिनांक 07.08.2014 बउनवानी रूपनारायण बनाम तहसीलदार मालपुरा एवं रामनारायण बनाम तहसीलदार मालपुरा को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुना गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:00 IST
Reason: SelfAttested